न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारी : अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

अपील संख्या – 2024/83

दायर दिनांक : 07.10.2021

1. लालचन्द पुत्र श्री जैसाराम जाति मीणा निवासी मोरथल तहसील तारानगर जिला चूरू
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र मूली पुत्री जैसाराम जाति मीणा निवासी भुवाड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू

–अपीलाण्ट–

बनाम

1. मदनलाल दत्तक पुत्र रूकमा पत्नी खमाराम जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
2. रामनिवास पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
3. सहीराम पुत्र अमर सिह जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू.
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

–रेस्पोडेण्टस्

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी. एक्ट

उपस्थित–

1. श्री ललित गौतम एड. अपीलाण्ट्स की ओर से।
2. श्री नरेन्द्र कुमार लाम्बा एड. रेस्पोडेण्ट की ओर से।
3. राज पैरोकार रेस्पोडेण्ट संख्या 04 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 20.06.2025

यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर, चूरू से सुनवाई हेतु स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज की जाकर सुनवाई की गई। संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार तारानगर के द्वारा प्रकरण संख्या 03/2021 अनुवानी मदनलाल बनाम लालचंद में दिनांक 23.09.2021 को निर्णय पारित किया जाकर अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 700 रोही राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू में रेस्पोडेण्ट के खेत में आने जाने का रास्ता नहीं होने के बावजूद रास्ता बंद मानकर, रास्ता खोलने का आदेश दिया है जबकि रेस्पोडेण्ट के खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 448/205, 449/205 व 450/205 रोही ब्रहमनगर तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है, जबकि अपीलाण्ट के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 700 रोही राजपुरा में स्थित है। रेस्पोडेण्ट के खेत में आवागमन का कटाणी रास्ता राजपुरा से हडियाल से होकर आवागमन का रहा है। अपीलांट्स के खेत से कभी नहीं रहा है। अपीलाण्ट ने अपनी पैरवी के लिये अधिवक्ता नियुक्त कर रखे थे लेकिन अधिवक्ता मौके पर पैरवी के लिये उपस्थित नहीं हुए ना ही जवाब प्रस्तुत किया इस कारण एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता की पैरवी के कारण अपीलाण्ट की समुचित पैरवी नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.09.2021 को निर्णय पारित किया उसके बाद अपीलांट्स के खेत में बने हुये कुण्ड व खड़ी मूंग की फसल को 15–20 लोगों ने नष्ट कर जबरन रास्ता कायम करने की

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

कोशिश की है तथा जे.सी.बी. से कुण्ड के पायतन तथा पायतन पर बने बालाजी के मन्दिर को तोड़–फोड़ दिया। खसरा संख्या 448/205, 449/205, 450/205 व 451/205 रोही ब्रह्मनगर एक ही परिवार के लोगों के खेत विभाजित होकर अलग–अलग खसरा संख्या पड़े हैं। रेस्पोडेण्ट अपने खेत में से कटाणी रास्ता हडियाल, राजपुरा से आकर खसरा संख्या 451/205 में से आना जाना करता था अब जबरन रास्ता अपीलाण्ट्स के खेत में से होना बताकर खोलने क कार्यवाही की जिसमें मौका रिपोर्ट पटवारी दिनांक 26.08.2021 जो एकतरफा बिना अपीलाण्ट्स की मौजूदगी में बनाई गई है, उस पर कार्यवाही की गई जो विधि विरूद्ध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स के खेत खसरा संख्या 700 में से रेस्पोडेण्ट के खेत खसरा संख्या 448/205, 449/205, 450/205 में आने जाने का रास्ता बंद मानकर खोलने का पारित निर्णय दिनांक 23.09.2021 को अपास्त किया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

अपीलाण्ट्स अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट के खेत में रेस्पोडेण्ट का आने जाने का रास्ता नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने बंद रास्ता मानकर अपीलाण्ट अधिवक्ता का पेशी के दिन उपस्थित नहीं होने तथा पटवारी तथा गिरदावर द्वारा एकपक्षीय मौका रिपोर्ट बनाई जाकर अपीलाण्ट के खेत खसरा संख्या 700 रोही राजपुरा में से विधिविरूद्ध रास्ता खुलवाने का आदेश पारित किया है जो काबिल खारीज है। बहस के अन्त में अपीलाण्ट्स अधिवक्ता ने अपील को स्वीकार फरमाया जाकर रेस्पोडेण्ट्स का आने–जाने का रास्ता बंद मानकर खोलने का पारित निर्णय दिनांक 23.09.2021 को अपास्त किया जाने बाबत निवेदन किया।

रेस्पोडेण्ट्स अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत अपील में वर्णित रास्ता का प्रत्यर्थीगण सदामत से उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। प्रत्यर्थीगण के खेतों में आने जाने का अन्य कोई रास्ता ना ही तो पूर्व में मौजूद रहा है ना ही वर्तमान में है प्रचलित रास्ते को बंद किये जाने से प्रत्यर्थीगण अपनी फसलों की बीजाई व सारसंभाल करने में असमर्थ है। प्रत्यर्थीगण ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर जिसमें भू–अभिलेख व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रचलित रास्ते को खसरा संख्या 700 में बाड़ व अन्य सामग्री डालकर बंद होना वा रास्ते के निशान होना एवं उक्त खेतों में जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं होना भी रिपोर्ट में बताया है जिस पर न्यायालय तहसीलदार ने उक्त प्रचलित रास्ते को खुलवाने हेतु निर्णय पारित किया है। न्यायालय ने अपीलार्थी को काफी अवसर दिये थे लेकिन अपीलार्थी जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं होने तथा प्रकरण अति आवश्यक प्रकृति का होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई अतः तहसीलदार ने विधिनुसार रिपोर्ट के आधार पर सही निर्णय पारित किया है। अपील को खारिज फरमाया जावे। पैरोकार राज ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं होने का कथन किया।

बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक मनन किया गया।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट्स ने दिनांक 06.08.2021 को तहसीलदार तारानगर के समक्ष इस आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 449/205, 450/205 खेतों का रास्ता पूर्वजों के समय से रोही ग्राम राजपुरा के खसरा संख्या 700 से

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

होकर गुजरता है तथा इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। खसरा संख्या 700 के खातेदारों ने उक्त रास्ता बंद कर दिया है जिसको खुलवाया जावे। प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर पटवारी हल्का व गिरदावर से इसके सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई जिसके मुताबिक उक्त खसरा के खातेदार ग्राम राजपुरा से हड़ियाल सड़क से गुजरने वाले कटाणी रास्ते जो ब्रह्मनगर गांव जाता है उस कटाणी रास्ते से होते हुए ग्राम राजपुरा की रोही में खसरा संख्या 700 के खातेदार लालचन्द पुत्र जैसाराम के खेत में से होकर प्रचलित रास्ते से गुजरते हैं। मौके पर प्रचलित रास्ते के आने–जाने के निशान मौजूद हैं। प्रचलित रास्ता पर बाड़ तथा अन्य सामग्री डाल कर प्रचलित रास्ता को अवरूद्ध किया हुआ है। खसरा संख्या 700 के खातेदार लालचन्द पुत्र जैसाराम मौके पर नहीं पाये गये।

रेस्पोडेण्ट्स ने दिनांक 06.09.2021 को तहसीलदार तारानगर के समक्ष पुनः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी. एक्ट के तहत अपने खेत में आने–जाने के लिए खसरा संख्या 700 में से कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम करने हेतु निवेदन किया। जिस पर अपीलाण्ट्स को प्रकरण में पेशी दिनांक 13.09.2021 को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। जिस पर अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता ने वकालतनामा दिनांक 13.09.2021 को प्रस्तुत किया लेकिन प्रकरण में जवाब नहीं देने तथा उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 23.09.2021 को एकपक्षीय सुनवाई की जाकर रेस्पोडेण्ट्स का प्रार्थना–पत्र पटवारी हल्का तथा भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 26.08.2021 के आधार पर स्वीकार किया गया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट्स को सुनवाई हेतु नोटिस दिनांक 13.09.2021 को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु प्रेषित किया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का तथा भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 26.08.2021 को आधार मानकर निर्णय पारित किया है। उक्त फर्द मौका रिपोर्ट पर ना ही पक्षकारान के हस्ताक्षर हैं ना ही गांव के मौजिज व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं जिसमें अंकित किया है कि खसरा संख्या 700 के खातेदार लालचन्द पुत्र जैसाराम मौके पर नहीं पाए गए जिससे मैं इस अभिमत पर पहूँची हूँ कि उक्त मौका रिपोर्ट एकपक्षीय बनाई गई है साथ ही रेस्पोडेण्ट्स ने तहसीलदार के समक्ष उक्त प्रार्थना–पत्र धारा 251 में उक्त रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में कायम करने हेतु प्रस्तुत किया है जिसकी अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार तारानगर द्वारा प्रकरण संख्या 03/2021 अनुवानी मदनलाल आदि बनाम लालचंद धारा 251 आर.टी. एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 23.09.2021 को अपास्त किया जाता है। तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तारानगर को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
चूरू
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू